



प्रेस नोट



जनपद-कौशाम्बी

दिनांक 01-09-2020

प्रेस नोट थाना चरवा

आज दिनांक 01.09.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंदन सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक श्री समर वहादुर एवं श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक श्री सहीराम आर्या के कुशल नेतृत्व में थाना चरवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 24/2020 धारा 364A,302,201 IPC में अभियुक्त सिन्टू उर्फ कृष्णकुमार पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी समदा, थाना मंझनपुर कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 07.02.2020 को वादी श्री अनिल पुत्र स्व0 राममिलन निवासी समसपुर थाना चरवा जनपद कौशाम्बी की तहरीरी सूचना पर मुकदमा उपरोक्त अपने पुत्र शुभम गुप्ता उम्र 12 वर्ष के अपहरण होने की सूचना दर्ज करायी थी जिसमें कुछ दिन बाद वादी को 5 लाख रुपये की फिरोती हेतु अज्ञात में पत्र मिलने लगा। यह बात वादी द्वारा पुलिस को बताया गया प्राप्त चिठ्ठी के आधार पर आरोपी सिन्टू उर्फ कृष्णकुमार उपरोक्त से पूछताछ किया गया तो बताया कि साहब गलती हो गयी मैंने ही दिनांक 07.2.2020 को समसपुर से अपने सगे साढ़ू के लड़के शुभम गुप्ता का पैसों के लिये अपहरण कर लिया था। शुभम द्वारा अभियुक्त सिन्टू को पहचान लिया गया था। भेद खुलने के डर से अभियुक्त सिन्टू उर्फ कृष्णकुमार द्वारा उसी दिन शुभम को महेवाघाट ले जाकर रात्रि में पुल के ऊपर से नदी में फेंक दिया था। अभियुक्त उसके लगभग तीन-चार माह बाद पैसों के लिये अनिल के घर के पास चिठ्ठी फेंकता था। थाना चरवा व एस0ओ0जी0 टीम द्वारा पूछताछ करने पर सिन्टू उर्फ कृष्णकुमार द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए घटना को करना बताया रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SHO सन्तशरण सिंह (प्र0नि0 चरवा)
2. उ0नि0 वीरप्रताप सिंह(थाना चरवा)
3. उ0नि0 शर्वेश कुमार सिंह (प्रभारी एस0ओ0जी0)
4. उ0नि0 विजेन्द्र सिंह (एस0ओ0जी0)
5. का0 मनोज कुमार (एस0ओ0जी0)
6. का0 जियाउद्दीन (एस0ओ0जी0)
7. का0 विजय कुमार (एस0ओ0जी0)
8. का0 सरताज(एस0ओ0जी0)
9. का0 सुरेन्द्र कुमार(एस0ओ0जी0)
10. का0धर्मेन्द्र यादव (वाहन चालक एस0ओ0जी0)
- 10.का0 वृजेश कुमार(थाना चरवा)
- 11.का0 श्रवण कुमार यादव (थाना चरवा)

गिरफ्तार अभियुक्त:- सिन्टू उर्फ कृष्णकुमार उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी समदा, थाना मंझनपुर कौशाम्बी
बरामदगी: 07 अदद चिठ्ठी व एक अदद रजिस्टर

